सत्यमेव जयते

संख्या— ——/जी0एस0(शिक्षा)/A4-57/2012

प्रेषक,

डा० रंजीत कुमार सिन्हा
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 30 सितम्बर, 2022**

महोदय,

कृपया विश्वविद्यालय के पत्र सं०—2222 एवं पत्र सं०—2223, दिनांक 24.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ए०आई०सी०टी०ई०, निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा—24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु छात्रहित में मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्धों के साथ प्रदान किया गया है :—

क्रमांक	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4	5
1	बी0आर0डी0 कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एण्ड साइन्सेज, रूड़की	एम0बी0ए0	60 सीट	2021—22

(1) विश्वविद्यालय, यू०जी०सी०, ए0आई0सी0टी0ई0 व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(2) संस्थान को संचालित करने वाली संस्था/ट्रस्ट 'बाबूराम चैरिटेबल सोसाइटी, रूड़की' का नवीनीकरण 27—02—2022 को समाप्त हो चुका है। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि सोसाइटी के नवीनीकरण के सम्बन्ध में यथा आवश्यक कार्यवाही करते हुए सोसाइटी का नवीनीकरण प्रमाण पत्र राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध करायें। सोसाइटी के नवीनीकरण के अभाव में उसके द्वारा संचालित संस्थान के आगामी सत्रों की सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जायेगा।

(3) संस्थान में मानक के अनुरूप फैकल्टी पूर्ण कार्यरत नहीं है। एआईसीटीई के मानकानुसार वर्ष दर वर्ष वृद्धि के दृष्टिगत प्रयोगशाला कक्ष के मानक भी पूर्ण नहीं हैं। फेकल्टी व प्रयोगशाला संबंधी मानक पूर्ण कराते हुए राज्यपाल सचिवालय को अवगत कराया जाये।

(4) संस्थान में बी0बी0ए0, बी0कॉम एवं एम0कॉम पाठ्यक्रम भी संचालित किये जा रहे हैं। इन पाठ्यक्रमों को पृथक से संचालित करने हेतु अलग से सभी आधारभूत संविधायें उपलब्ध होने के अभिलेख/आख्या राज्यपाल सचिवालय को उपलब्ध कराई जाये।

(5) शासनादेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2016 द्वारा व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु प्राभूति राशि के सम्बन्ध में शासन स्तर पर लिये गये निर्णय का पूर्ण रूप से अनुपालन विश्वविद्यालय व संस्थान द्वारा किया जायेगा उसके अनुपालन की सूचना से इस सचिवालय को भी अवगत कराया जायेगा।

(6) विश्वविद्यालय द्वारा छात्र/छात्राओं की गुणवत्ता और व्यवहारिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गये हैं, इसकी सूचना व संस्थानों द्वारा छात्रों की प्रायोगिक शिक्षा और

क्रमशः......2/—

इंटर्नशिप/विजिट के लिए किन समूहों, विभागों एवं कंपनियों के साथ समझौता (MoU) किया गया है, तत्सम्बन्धी अभिलेख एक माह के भीतर अनिवार्य रूप से इस सचिवालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में संस्थान की सम्बद्धता निरस्त कर दी जाएगी साथ ही अग्रेत्तर सत्रों की सम्बद्धता के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(7) विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा सोसाइटी/ट्रस्ट पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित Legal Obligation पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित आख्या एक माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालय से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान समस्त पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता को एक साथ रखकर पाठ्यक्रमवार मानक पूर्ण किये जाने के सम्बन्ध में आख्या संस्थान द्वारा विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराई जायेगी तथा संस्थान से प्राप्त आख्या विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(9) संस्थान की Annual Balance Sheet सम्बन्धी साक्ष्य की सत्यापित प्रति प्राप्त कर विश्वविद्यालय द्वारा इस सचिवालय को उपलब्ध कराई जायेगी।

(10) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू0जी0सी0 विनियम/ए0आई0सी0टी0ई0 एवं विश्वविद्यालय, शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नही किया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(11) शासन द्वारा दिनांक 28.10.2020 से उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कर वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय किया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता आदेश निर्गत करते समय इसका संज्ञान रखा जायेगा।

तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(डा. रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

संख्या–2471 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/A4-57/2012 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)
अपर सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।